न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—345/2015/223 (2015/00108)

1. श्रीमती जुबेदा बीबी पत्नि अशरफ अली,
2. सलीम अली पुत्र कायम अली,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी भांवता, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर कैम्प कोर्ट देवनगर, अजमेर दिनांक 11.6.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 97/2014.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांकः—8.8.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर कैम्प कोर्ट देवनगर, अजमेर के निर्णय दिनांक 11.6.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भांवता की आधारभूत जमाबंदी संवत् 2068 लगायत 2071 के खाता संख्या नये 162 पुराने खाता संख्या 153 एवं खाता संख्या नये 161 पुराने 154 में वादिया संख्या 1 के पति का नाम अशरफ अली है जो भारत निर्वाचन द्वारा जारी पहचान पत्र से सिद्ध है किन्तु अधिकार अभिलेख में खाता संख्या नये 162 में जुबेदा पत्नि अहारू तथा खाता संख्या नये 161 में जुबेदा बेवा असरू सहवन से दर्ज कर रखा है जिसे दुरूस्त किया जावे । इसी प्रकार वाद में आगे वादिया संख्या 2 ने वाद में अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार कायमअली के दो पुत्र घीसा व सलीम अली हुए लेकिन वादी संख्या 2 का नाम सलीम अली के स्थान पर जाला पुत्र कायम अली अंकित कर दिया जबकि रिकार्ड में नाम सलीम अली पुत्र कायमअली निवासी भांवता है, जिसे दुरूस्त किया जाकर ग्राम भांवता के खाता संख्या नये 161 व 162 में अंकन दर्ज करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादी का जवाब प्राप्त होने पर अपीलांटस के वाद को कैम्प कोर्ट,

देवनगर में रखकर निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2015 द्वारा अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय के मुख्य पृष्ठ पर सहायक कलक्टर (मु0) कैम्प देवनगर, अजमेर अंकित किया हुआ है एवं उक्त पंक्ति के नीचे कैम्प कोर्ट भांवता अंकित किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है पत्रावली कैम्प कोर्ट देवनगर में रखी गयी थी अथवा कैम्प कोर्ट भांवता में । एक दिन में पत्रावली भिन्न–भिन्न ग्रामों में कैम्प में रखा जाना संभव नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया साबित था कि अपीलांट संख्या 1 श्रीमती जुबेदा बीबी के पति का नाम अशरफ अली एवं अपीलांट संख्या 2 का नाम सजली अली पुत्र कायम अली है जबकि आधारभूत अभिलेख में अशरफ अली के स्थान पर अहारू तथा असरू अंकित कर दिया गया एवं सली अली के स्थान पर निकनेम जाला अंकित कर दिया जिसकी दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर मात्र न्यायालय कैम्प कोर्ट में निर्णित प्रकरणों के आंकड़े बढ़ाने की गरज से प्रकरण को बिना किसी सूचना के कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् एवं न्यायिक नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/वादीगण के प्रकरण को कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना अपीलांटस को नहीं दी एव ंना ही कोई नोटिस जारी किये । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अंत में विद्वान वकील अपीलांटस ने अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2015 अपास्त करने तथा अभिकार अभिलेख में वाद में वर्णित अनुसार दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहे है इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का वाद निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद दिनांक 25.7.2014 को प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने दर्ज कर प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.9.2014 नियत की । आगामी दिनांक 29. 9.2014 के उपरांत पत्रावली लगभग 6 पेशियों तक पीठासीन अधिकारी के अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने से सील लगाकर तारीख पेशियां तब्दली की जाती रही है । दिनांक 11.6.2015 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली दिनांक 11.6.2015 को कैम्प भांवता में रखी जाकर अपीलांटस/वादीगण का वाद अपास्त किया गया है। उक्त तिथि की आदेशिका में अधी0न्याया0 ने वादीगण के अधिवक्ता को उपस्थित होने का अंकन किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी जाहिर नहीं होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस के प्रकरण को कैम्प कोर्ट भांवता में रखे जाने के संबंध में कोई सूचना/नोटिस जारी किये हो ना ही

अधी0न्याया0 की पत्रावली में प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के संबंध में अपीलांटस/वादीगण को जारी नोटिस की प्रति ही उपलब्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2015 के प्रथम पृष्ठ पर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) कैम्प कोर्ट, देवनगर, अजमेर अंकित किया हुआ है किन्तु आदेशिका दिनांक 11.6.2015 में पत्रावली कैम्प कोर्ट भांवता में रखे जाने का अंकन है जो अपने आप में विरोधाभासी है । उपरोक्त विवेचन के क्रम से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस के प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के नोटिस दिये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निश्चित रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कैम्प देवनगर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांटस एवं अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 8.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर